

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 166 सन 2020

अनवान :-

1. रामजीतसिंह पुत्र भरपूर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बलजीतसिंह पुत्र भरपूर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री कुलदीप खूडिया अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 07/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 23 की कुल 6.0720हैक व रोही मौजा चक 30 एनटीआर के खाता संख्या 75 की कुल 3.9750हैक एवं रोही मौजा चक 14 बरानी के खाता संख्या 71 की 2.2770हैक भूमि व रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 81 की कुल 8.8550हैक व रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 38 की कुल 10.1200हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मुश्तरका खातेदारी दर्ज है।

उक्त भूमि में रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 37 की कुल 3.3770हैक में से 2/3 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता भरपूरसिंह ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद की गई थी क्योंकि वादी उस समय नाबालिग बाल्यवस्था में था प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज खरीद की गई भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने सयुक्त परिवार की आय से खरीद की गई थी सयुक्त परिवार की आय व अन्य भूमियों की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाने के कारण वाद भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का भाई है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता भरपूरसिंह ने सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक कृषि भूमि/सम्पत्ति की आय से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी उस समय वादी नाबालिग बाल्यवस्था में था सयुक्त परिवार की आय से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी इसलिये वाद भूमि पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पत्ति है जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो का बराबर का हक हिस्सा है

उपस्थित अधिकारी
नोहर

इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा शामिल मिसल किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 23 की कुल 6.0720हैक् व रोही मौजा चक 30 एनटीआर के खाता संख्या 75 की कुल 3.9750हैक् एवं रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 71 की 2.2770हैक् भूमि व रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 81 की कुल 8.8550हैक् व रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 38 की कुल 10.1200हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मुश्तरका खातेदारी दर्ज है।

उक्त भूमि में रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 37 की कुल 3.3770हैक् में से 2/3 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता भरपूरसिंह ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद की गई थी क्योंकि वादी उस समय नाबालिग बाल्यवस्था में था प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज / खरीद की गई भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने सयुक्त परिवार की आय से खरीद की गई थी सयुक्त परिवार की आय व अन्य भूमियों की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाने के कारण वाद भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति / राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाधिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारों के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है तथा सयुक्त परिवार की आय से अर्जित भूमि में परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा होगा इसप्रकार न्यायाधिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णतया चरपा होते हैं अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 37 की कुल 3.3770हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के भरपूरसिंह ने अपने जीवनकाल में अन्य पैतृक सम्पत्ति व सयुक्त परिवार की आय से वादी के बाल्यकाल में प्रतिवादी 1 के नाम से करवाई गई थी वादी के पिता ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाने के कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं

उपस्थित अधिकारी
बोहर

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया गया है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं की सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पत्ति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पत्ति भी पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी आती है अर्थात् परिवार के सभी सदस्यों के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 37 की कुल 3.3770 हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे वय्य वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्दा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रामजीतसिंह पुत्र भरपूर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बलजीतसिंह पुत्र भरपूर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 166 सन 2020 निर्णय दिनांक-07/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 37 की कुल 3.3770 हैक्ठु भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते